हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

-10-17

पत्रावली पेश हुई ~~अधिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं।~~ आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
राज्य कार्यवश बाहर होने से तारीक रखते है।
अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण
कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक
कार्यवाही हेतु दिनांक 13-10-17.....को
पेश हों।

13-10-17

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया विस्तृत आदेश पृथक से टाईप करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, (बून्दी)

वाद संख्या – 54/दावा/13
दायरा दिनांक – 04.07.2013

पीठासीन अधिकारी
गरिमा लाटा (आर.ए.एस.)

बउनवान

1. गोपीलाल आत्मज जगन्नाथ आयु 52 वर्ष जाति मेहर निवासी नौताडा (धरावन) तहसील इन्द्रगढ

–वादी–

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)

–प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक – 13.10.2017

वाद जर्ये वकील पेश किया गया। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है– वादी को सन् 1977 में सीलिंग अधिग्रहीत आराजी भूमिहीन व अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटित की थी। उक्त आवंटन शुदा आराजी खसरा संख्या 589/1 की 15 बीघा आराजी पर आज दिनांक तक वादी का निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजी का वादी को सरकार द्वारा गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया गया और बतौर खातेदार चला आ रहा है।

नकल जमाबन्दी सम्वत् 2045–2048 पेश की है जिसमें वादी की आराजी खसरा नं0 589/1 की 15 बीघा स्थित है जो बाद में खसरा नं0 946 रकबा 1.85 है0 मे तब्दील कर दिया गया। सेटलमेंट द्वारा वादी की आराजी खसरा नं0 589/1 की 15 बीघा को है0 मे परिवर्तन कर 1.85 है0 आराजी खाते मे अंकित कर दी है। सेटलमेंट विभाग को वादी के खाते की आराजी का रकबा कम करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह कब्जे मुखालपान के आधार पर उपरोक्त आराजी 1.85 है0 के स्थान पर 15 बीघा कृषि भूमि पर स्वयं को खातेदार दर्ज करवाने का अधिकार है। तहसीलदार इन्द्रगढ से दुरूस्त कर रकबा 15 बीघा अंकित करने का निवेदन किया लेकिन सुनवाई नही होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। वाद कारण 30.08.2012 को हल्का पटवारी से नकल लेने के उपरान्त तथा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती नही करने से लगातार उत्पन्न हो रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वर्णित खसरा संख्या 946 रकबा 1.85 है0 के स्थान पर 15 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा 946 रकबा 1.85 है0 के स्थान पर 15 बीघा आराजी अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करें इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे नक्शा ट्रेस ग्राम नौताडा दिनांक 30.08.2012 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 प्रदर्श 3, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2068 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2045–2048 प्रदर्श 4 व राजस्व रिकार्ड की फोटो प्रति पेश की। मौखिक साक्ष्य में वादी गोपीलाल का स्वयं ने स्वयं का शपथ पत्र व वादी की ओर से साक्षी कजोड व साक्षी परमानन्द का शपथ पत्र पेश किया गया।

हमारे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस नियत पेशी पर सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद वर्णित आराजी वादी को आवंटन सलाहकार समिति ने 1977 में सीलिंग से अधिग्रहण की गयी भूमि आवंटित की थी आवंटन के बाद कब्जा पत्र दिया। वक्त आवंटन से निरन्तर खसरा संख्या 589/1 की 15 बीघा आराजी पर वादी निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है। सेटलमेंट द्वारा वादी के उक्त खसरा नं0 की 15 बीघा आराजी को हैक्टर में परिवर्तन कर 1.85 है0 जमाबन्दी में अंकित कर दी गयी। इस तरह 15 बीघा के स्थान पर आराजी कम करके 1.85 है0 कर दी गयी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना कि की खसरा संख्या 946 रकबा 1.85 है0 के स्थान पर 15 बीघा कृर्षि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे व खसरा संख्या 946 रकबा 1.85 है0 के स्थान पर 15 बीघा आराजी अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सुना व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है– मुताबिक जमाबन्दी 2066–2069 प्रदर्श 3 में खसरा संख्या 946 रकबा 1.85 है0 दर्ज है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2045–2048 खसरा संख्या 589/1 रकबा 15 बीघा दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है व वकील द्वारा बहस में कथन किया गया है सेटलमेंट द्वारा रकबा 15 बीघा के स्थान पर 1.85 है0 दर्ज कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह साबित नही होता है कि पूर्व खसरा संख्या 589/1 रकबा 15 बीघा से नये खसरा संख्या 946 रकबा 1.85 है0 कायम हुए। इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

अतः हमारा विचार है कि वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में असफल रहा है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गरिमा लाटा) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

मुकाम लाखेरी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

व इजलास सुश्री गरिमा लाटा R.A.S. बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी

गोपीलाल आत्मज जगन्नाथ जाति मेहर निवासी नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ (बून्दी)

(वादी)

दावा बाबत 88, 89 R.T.A.

सन ....

मुकदमा नम्बर 54/दावा/13 .... व हाजिरी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे ....

.... मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वाद वादी खारिज किया जाता है।

.... बाबत .... खर्चा इन

निज .... मुबलिग .... फीसदी सालाना आज की तारीख

मुकद्दमें के मय सूद बशरह .... का अदा करें।

से तारीख अदायगी तक .... सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-10-2017 माह ....

सन .... को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।